न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

अपील संख्याः–06 / 2021

अरिहन्त पुत्र श्री सतीशचन्द्र जाति जैन निवासी सुपरडेन्ट अजमेरसिंह का बाड़ा बजरिया रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
––अपीलान्ट

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भूराजस्व अधिनियम
बिरूद्व नामान्तरकरण संख्या 795 ग्राम ताल ओडेला
निर्णय दिनांक 5.2.2019

निर्णय **दिनांक 10.8.2021**

उपस्थितिः–श्री पकज बघेला एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से
रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

अपीलान्ट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 795 ग्राम फिरोजपुर पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.2.2019 के बिरूद्व अपील प्रस्तुत कर निवेदन है ग्राम ताल ओडेला तहसील व जिला धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 610 / 495 रकबा 03 विस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 640 / 477 रकबा 12 विस्वा की अपीलान्ट की मां गुडडी पत्नी सतीशचन्द खातेदार काश्तकार थी। अपीलान्ट की मां का देहान्त दिनांक 13.4.2018 हो जाने के फलरूवरूप उपरोक्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत फिरोजपुर के द्वारा दिनांक 5.2.2019 को निर्णित किया गया। विरासत के नामान्तरकरण संख्या 795 में मृतक गुडडी के समस्त वारिसान उसके पति, पुत्र व पुत्रियो का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकार हुआ और नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में सभी वारिसान का नाम दर्ज हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पर बनाये शिजरा को प्रमाणित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम अरिहन्त के स्थान पर हरियन्त अंकित कर नामान्तरकरण को निर्णित करने मे कानूनी त्रृटि की गई है। अपीलान्ट का सही नाम अपीलान्ट के आधार कार्ड संख्या 351598421374, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश अंक तालिका, पैन कार्ड नम्बर BROPJ 4458F तथा परिवार राशन कार्ड में सही अंकित है जिनके अनुसार अपीलान्ट रेकार्ड में

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

हरियन्त के स्थान पर अरिहन्त अंकित नाम शुद्व कराने का अधिकारी है। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अंकित किया गया अपीलान्ट को राजस्व रेकार्ड में नाम की अशुद्धि की जानकारी दिनांक 13.01.2021 को राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर हुई तथा नकल को लेकर पटवारी हल्का से मिला तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की सलाह दी गई जिस पर अपीलान्ट के द्वारा कई अभिभाषको से भी सलाह ली गई उनके द्वारा भी नामान्तरकरण की अपील कर नाम को दुरूस्त कराने की सलाह दी गई। अपीलान्ट कानूनी पेचीदगियो से अनिभिज्ञ है उसको नामान्तरकरण अपील के म्याद की जानकारी नही होने के कारण अपीलान्ट की ओर से अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 795 ग्राम ताल ओडेला तहसील धौलपुर में अपीलान्ट का नाम हरियन्त के स्थान पर अरिहन्त शुद्व अंकित करने तथा इसी अनुसार अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्व अंकित करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 795 ग्राम ताल औडेला, नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–79, प्रमाणित शिजरा, फोटो प्रतियां आधार कार्ड संख्या 351598421374, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश अंक तालिका, पैन कार्ड नम्बर BROPJ 4458F तथा फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन तारीख पेशी दिनांक 12.4.2021 एवं 6.8.2021 के लिए जारी किये जाकर तलब किया गया रेस्पोडेन्ट स्वयं एवं उसकी ओर से प्रकरण में उपस्थित नही हुआ अतः रजिस्टर्ड ए0डी0 जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के बिरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई उन्होने अपने तर्को में अपील में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के सही नाम अरिहन्त है जबकि नामान्तकरण कार्यवाही में उसका नाम हरियन्त अंकित कर दिया गया यह एक मात्र लिपिकीय त्रृटि हुई है अपीलान्ट के नाम जारी आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं शिक्षा विभाग द्वारा अंक तालिका तथा पार्षद द्वारा प्रमाणित शिजरा में अपीलान्ट का नाम सही अंकित है इस प्रकार अपीलान्ट राजस्व रेकार्ड में स्वयं का नाम जो लिपिकीय भूल से गलत अंकित हो गया है उसको दुरूस्त कराने का अधिकारी है उन्होने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम मुताबिक दस्तावेजात सही अंकित करने का निवेदन किया ।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजातो का अवलोकन किया गया अपील में प्रस्तुत फोटो प्रतियां आधार कार्ड

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

संख्या 351598421374, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश अंक तालिका, पैन कार्ड नम्बर BROPJ 4458F, परिवार राशन कार्ड एवं शिजरा प्रमाण पत्र में अपीलान्ट का नाम अरिहन्त पुत्र सतीशचन्द्र अंकित है जबकि प्रस्तुत नकल नामान्तकरण संख्या 795 ग्राम ताल औडेला एवं जमाबन्दी सम्वत! 2076–79 में अपीलान्ट का नाम हरियन्त दर्ज है इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो से यह सिद्व होता है कि अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने में लिपिकीय त्रृटि हुई है जिसको दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार धौलपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह ग्राम ताल औडेला तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 610/495 एवं 640/477 पर अपीलान्ट का नाम हरियंत के स्थान पर अरिहन्त अंकित किया जाकर नाम की दुरूस्ती की जावें। निर्णय प्रति पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)